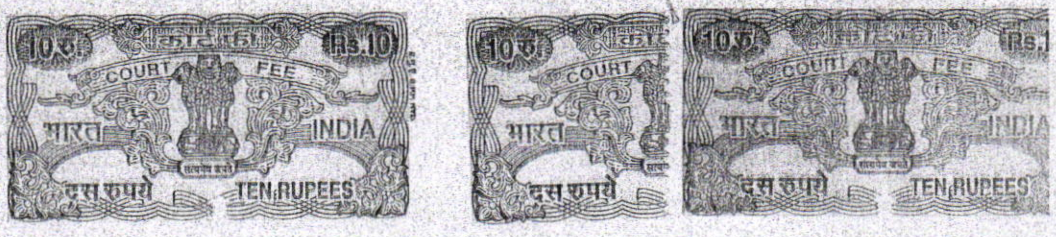

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प देवास (म.प्र.)

प्रकरण क्र./ /निगरानी/ PBR/निगरानी/देवास/भू.रा./2018/0551

कमलसिह पिता फतेसिह सेंधव
निवासी–ग्राम आवल्दा तह. बागली जिला देवास ---प्रार्थी / निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1–मनीबाई पिता फतेसिह सेंधव
2–उदयसिह पिता फतेसिह सेंधव
3– विजयसिह पिता फतेसिह सेंधव
निवासीगण–ग्राम आवल्दा तह. बागली जिला देवास

---**प्रतिप्रार्थीगण**
(गैरनिगरानीकर्ता)

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र.भु.रा.स.के अंतर्गत

श्रीमान,

श्रीमति सारिका भुरिया अतिरिक्त कलेक्टर महोदया देवास द्वारा निगरानी प्र. क्रमांक 4/2017–18 में दिनांक 15/01/2018 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी (निगरानीकर्ता) की ओर से निम्नाकित कारणो एवं तथ्यों पर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / देवास / भू.रा. / 2018 / 0551

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर, देवास के आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति निरस्त कर, प्रकरण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत किया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है । अपर कलेक्टर द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	